खान आयुक्त का न्यायालय, बिहार

अपील वाद संख्या–07/2026

जिला–नवादा

मेसर्स मिनी मैक्स इन्टरनेशनल ... वादकर्ता

बनाम

समाहर्त्ता, नवादा एवं अन्य ... प्रतिपक्ष

आदेश

10.08.2026 1. वाद की पृष्ठभूमि :–

यह अपील वाद मेसर्स मिनी मैक्स इन्टरनेशनल द्वारा समाहर्त्ता, नवादा के आदेश ज्ञापांक–1188/खनन, दिनांक–10.06.2025 के विरूद्ध लाया गया है, जिसके माध्यम से बालूखण्ड–02 (करणपुर बालूघाट) के लिए मेसर्स मिनी मैक्स इन्टरनेशनल के प्रत्यर्पण संबंधी आवेदन को खारिज किया गया है एवं जमा अग्रधन/प्रतिभूति राशि ₹5,04,00,000/– को जप्त किया गया है।

2. अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत तथ्य निम्न प्रकार है :–

(i) उनके द्वारा बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली, 2019 के नियम–50(1) के आलोक में एकरारनामा के एक वर्ष पूरा होने की तिथि 30.10.2024 से छः महीना पूर्व दिनांक–27.04.2024 को कारोबार छोड़ने के लिए समाहर्त्ता, नवादा के समक्ष आवेदन समर्पित किया गया था।

(ii) बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली, 2019 में निर्धारित फार्म–बी में प्रतिभूति राशि जप्त करने का कोई प्रावधान नहीं है। विभाग द्वारा एकतरफा बदलाव कर प्रतिभूति राशि जप्त करने की शर्त्त जोड़ी गयी है।

(iii) प्रतिभूति राशि को मात्र जुर्माना लगाये जाने की स्थिति में ही जप्त किया जा सकता है।

(iv) बालूघाट से बिजली की तार एवं ग्रामीण सड़क गुजरने के कारण खनन कार्य करने में बाधा आई, जिसका हल नहीं निकाले जाने के कारण तृतीय किस्त की राशि का भुगतान नहीं किया जा सका।

(v) बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली, 2019 के नियम–50(2) में प्रत्यार्पण की स्थिति में प्रतिभूति राशि वापस किये जाने का प्रावधान है।

(vi) समाहर्त्ता के आदेश में निविदा दस्तावेज की कंडिका–7(ख), 31, 15 एवं 22(1) एकरारनामा के भाग–III कंडिका–10 तथा नियम–50(4) के आलोक में राशि जप्त की गयी है।

(vii) निविदा दस्तावेज की कंडिका–31 तथा एकरारनामा के भाग–III कंडिका–10 खनन नियमावली के अनुरूप नहीं है।

3. खनिज विकास पदाधिकारी, नवादा द्वारा समर्पित किया गया है कि अपीलकर्त्ता की राशि बालू खनन नीति, निविदा दस्तावेज, एकरारनामा तथा बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण निवारण) नियमावली, 2019 के उल्लंघन के कारण ही जप्त की गयी है।

4. अपीलकर्त्ता को सुना एवं उपस्थापित अभिलेखों का परिशीलन किया। अपीलकर्त्ता द्वारा दिनांक–27.04.2024 बालूघाट प्रत्यर्पण का आवेदन/नोटिस समर्पित किया गया। बालूघाट प्रत्यर्पण का विकल्प बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) 2019 के नियम–50 से नियंत्रित होता है, जिसके उप नियम–4 में स्पष्ट अंकित है कि "धोखाधड़ी या खनन अथवा पर्यावरणीय शर्तों के उल्लंघन या प्रतिवेदित की गई किसी अन्य अनियमितताओं की स्थिति में, कारोबार छोड़ने का कोई विकल्प खनिज समानुदान धारक को उपलब्ध नहीं रहेगा और उनकी प्रतिभूति जप्त हो जाएगी।"

5. यह जानना आवश्यक है कि अपीलकर्त्ता द्वारा कोई धोखाधड़ी/उल्लंघन/अनियमितता की गयी थी कि नहीं। अपीलकर्त्ता को प्रथम वर्ष की बंदोबस्ती राशि के तृतीय किस्त का भुगतान पट्टा निष्पादन की तिथि 30.10.2023 से छः माह पूरा होने से पहले करना था, जो उनके द्वारा अबतक नहीं किया गया है। इस प्रकार नियम–50(4) के तहत अपीलार्थी द्वारा अनियमितता के आलोक में नियम–50(1) के तहत अपीलार्थी समानुदान छोड़ने के विकल्प के हकदार नहीं थे।

6. (i) अपीलार्थी द्वारा हस्ताक्षरित एकरारनामा के अध्याय–III कंडिका–10(i) निम्नवत हैः–

"10(i) It will be necessary to deposit the entire settlement amount of that related year by the Settlee before exit from the settlement period; In case of surrender of settlement, the entire security amount along with the other amount paid by the Settlee will be forfeited and at the same time the storage license (K- License) issued in favor of the settlee will also cancelled itself."

(ii) निविदा दस्तावेज की कंडिका–31(i) निम्नवत हैः–

"बन्दोबस्तधारी को बन्दोबस्ती छोड़ने के पूर्व उस पंचांग वर्ष की सम्पूर्ण बन्दोबस्ती राशि जमा करनी होगी। बन्दोबस्ती प्रत्यार्पित करने की स्थिति में जमा सम्पूर्ण प्रतिभूति राशि के साथ–साथ भुगतान की गई अन्य राशि को जप्त कर ली जायेगी। साथ ही बन्दोबस्तधारी के रूप में निर्गत भण्डारण अनुज्ञप्ति भी स्वतः रद्द समझी जाएगी।"

(iii) वादी द्वारा उपरोक्त दोनों का भी उल्लंघन स्पष्ट रूप से किया गया है।

7. (i) हस्ताक्षरित एकरारनामा के भाग (VII) की कंडिका–37 निम्नवत हैः–

"If the lessee makes default in payments of any Installments, GST, Income Tax, Stamp Duty and Registration fees on time, the Collector shall give a thirty days notice to the lessee requiring him to pay within prescribed time limit and if not paid within such period the Collector may without prejudice to any proceeding that may be taken against lessee, determine the settlement and forfeit the whole or part of the security deposit."

8. (i) अपीलकर्त्ता ने अपने प्रत्यर्पण आवेदन में खनन योग्य बालू की मात्रा कम होने का उल्लेख करते हुए प्रत्यर्पण का अनुरोध किया है।

(ii) समाहर्त्ता, नवादा के पत्रांक–1270, दिनांक–16.05.2024 द्वारा अपीलकर्त्ता को बालूघाट का पुनर्भरण अध्ययन कराकर जिला खनन कार्यालय, नवादा में प्रतिवेदन समर्पित करने का निदेश दिया गया, जिसका अनुपालन अपीलार्थी द्वारा नहीं किया गया।

(iii) अपीलार्थी द्वारा अपने आवेदन में बालूघाट से बिक्री एवं ग्रामीण रास्ता गुजरने के कारण बालू उठाव में समस्या की बात कही गयी है, जो मान्य योग्य नहीं है। क्योंकि अपीलकर्त्ता ने बालूघाट के निरीक्षण करने के पश्चात सभी तथ्यों से संतुष्ट होने के बाद ही निविदा में बोली लगायी है।

(iv) बंदोबस्ती एकरारनामा के भाग–VII की कंडिका–32 में भी उल्लेख है कि पट्टेधारी द्वारा किसी प्रकार का क्षतिपूर्ति का दावा नहीं किया जाएगा। इसी एकरारनामा के भाग–VII की कंडिका–1 में भी यह प्रावधान है कि भाग–V एवं भाग–VI के तहत दिये जाने वाले rent एवं royalty किस प्रकार दिये जायेंगे।

9. उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि आवेदक का दावा नियम संगत नहीं है। अतः समाहर्त्ता के आदेश में बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली, 2019 के नियम–50(4) के तहत की गई कार्रवाई को यथावत रखा जाता है।

लेखापित एवं संशोधित
ह0/–
(अवनीश कुमार सिंह)
सचिव–सह–खान आयुक्त,
खान एवं भूतत्व विभाग,
बिहार, पटना।

ह0/–
(अवनीश कुमार सिंह)
सचिव–सह–खान आयुक्त,
खान एवं भूतत्व विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– 5240 /एम0, दिनांकः– 11/08/26
प्रतिलिपि :– समाहर्त्ता, नवादा/ खनिज विकास पदाधिकारी, जिला खनन कार्यालय, नवादा/ मेसर्स मिनी मैक्स इन्टरनेशनल, प्रो0–प्रशांत चन्द्र जायसवाल, पिता–गोपाल प्रसाद, हथुआ मार्केट के नजदीक, बाकरगंज, नागेश्वर कॉलोनी, ठाकुरबाड़ी रोड, थाना–पीरबहोड़, जिला–पटना, ई–मेल–avinashshekhar05@gmail.com/आई0 टी0 प्रबंधक, खान एवं भूतत्व विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

11/8/26
विधि पदाधिकारी